संख्या-10/2026/2115422026-42-01099-157-2026

प्रेषक,

सूर्य नाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊः दिनांक-22-09-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्ष के मानक " मद संख्या-42-अन्य व्यय " में पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-143/पुनर्वि0 पत्रा0/2026-27, दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र संख्या-A042-20262027-42-01099-157-2026, दिनांक 21.09.2026 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-खेलकूद निदेशालय 42- अन्य व्यय मद में रू0 81,73,000/- (रूपये इक्यासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 81,73,000/- (रूपये इक्यासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

2- प्रशा0 विभाग द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

3-पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4-पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5-धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6-निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

7-व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 81,73,000/- (रूपये इक्यासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 2204000010300 खेलकूद निदेशालय मानक मद 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधायित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सूर्य नाथ उपाध्याय
अनु सचिव ।

संख्या-10/2026/2115422026-42-01099-157-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ०प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ० प्र० प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6- नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,
सूर्य नाथ उपाध्याय
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।